पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 फरवरी, 2017 ई0 (माघ 22, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–06

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	183–189	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	37–42	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	9	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

नियोजन अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

15 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 438/XXVI/2015–एक (19)/2014–राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्यों की विशिष्टता एवं सुचारू रूप से सम्पादन हेतु शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के विभागीय ढाँचे के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 392/48(2002)–XXVI/रा0यो0आ0/2005, दिनांक 03 जून, 2005 द्वारा सृजित विशेषज्ञ, एम0आई0एस0, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,700 के रिक्त पद को आस्थगित करते हुए तकनीकी विशेषज्ञ, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,700 का एक निःसंवर्गीय पद सृजन करते हुए इस पद पर श्री गंगा प्रसाद पंत, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड (राज्य योजना आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत) को सेवा स्थानान्तरण करते हुए समायोजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री पंत को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त पद के सापेक्ष समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार वेतन, अनुमन्य भत्ते एवं सुविधाएँ देय होंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0सं0 183 NP/XXVII/(5), दिनांक 14.12.2016 में उनके द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,

मुख्य सचिव।

वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7

कार्यालय ज्ञाप

30 दिसम्बर, 2016 ई0

विषयः–राज्य सरकार के 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

संख्या 297/XXVII(7) 02/2016–उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/2016–ई0II(बी), दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के क्रम में पूर्व दरों को अतिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि, जिसमें एक रुपये का कोई अंश निहित हो, उसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश, शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत महंगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

6. महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

आज्ञा से,
अमित सिंह नेगी,
सचिव।

OFFICE MEMORANDUM

December 30, 2016

Subject : Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners, which pension is revised from January 01, 2016.

No. 297/XXVII(7)02/2016--The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief for pensioners *w.e.f.* 01.07.2016 @ 2% for revised pension superseding the earlier rates as is sanctioned *vide* Office Memorandum No. 1/2/2016-E.II(B), Dated November 04, 2016 of Ministry of Finance, Government of India.

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded of to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Govt. under the Education/Technical Education Department, whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

By Order,
AMIT SINGH NEGI,
Secretary.

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

अधिसूचना / प्रकीर्ण

30 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 298 / XXVII (7)32 / 2007–श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2016

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. मूल नियमावली के नियम–7 (क्रय/मूल्य वरीयता) के पश्चात् परन्तुक जोड़ा जाना :

नियम–7–राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से तथा शासन के वित्त विभाग की सहमति से, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में विनिर्मित करने वाले लघु कुटीर उद्योग/खादी/सूक्ष्म उद्यम को क्रय/मूल्य में वरीयता दे सकती है। यह वरीयता, प्राप्त न्यूनतम दर के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	नियम–7–राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से तथा शासन के वित्त विभाग की सहमति से, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में विनिर्मित करने वाले लघु कुटीर उद्योग/खादी/सूक्ष्म उद्यम को क्रय/मूल्य में वरीयता दे सकती है। यह वरीयता, प्राप्त न्यूनतम दर के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। परन्तु राज्य में 4000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों/इकाईयों में निर्मित सामग्री पर शासकीय खरीद में 15 प्रतिशत तक Purchase के आधार पर छूट अनुमन्य होगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1411/बीस–4/2016–4 (कारा0)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय–25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री लखवीर सिंह सरा पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह, निवासी 7/23, गाँधी नगर, अल्लापुर, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर को केन्द्रीय कारागार, सितारगंज में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्री लखवीर सिंह सरा की नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से 01 वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि, जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिए बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1412/बीस–4/2016–4 (कारा0)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय–25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन स0 गुरजीत सिंह, निवासी एफ–5, रेसकोर्स निकट स्वर्गपुरी आश्रम, रेसकोर्स, देहरादून को जिला कारागार, देहरादून में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा स0 गुरजीत सिंह की नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से 01 वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि, जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिए बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1413/बीस–4/2016–4 (कारा0)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय–25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री अरविन्द रावत पुत्र श्री पी0 एस0 रावत, लेन नं0–9, लाडपुर, रायपुर रोड, देहरादून को जिला कारागार, देहरादून में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्री अरविन्द रावत की नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से 01 वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि, जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिए बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1414/बीस–4/2016–4 (कारा0)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय–25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नी स्व0 बी0 डी0 शर्मा, निवासी जी–140, राजपुर रोड, जाखन, पुलिस चौकी के सामने, देहरादून, को जिला कारागार, देहरादून में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्रीमती कृष्णा शर्मा की नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से 01 वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि, जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिए बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1415/बीस–4/2016–4 (कारा0)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय–25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्रीमती सीमा भाटिया, माधोराम क्वाटर्स, 4, रायपुर रोड, देहरादून, को जिला कारागार, देहरादून में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्रीमती सीमा भाटिया की नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से 01 वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि, जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिए बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

अधिसूचना

16 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1416/बीस–4/2016–4 (कारा0)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय–25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री सतीश अग्रवाल, निवासी 66, राजपुर रोड, देहरादून, को जिला कारागार, देहरादून में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्री सतीश अग्रवाल की नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से 01 वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि, जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिए बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

आज्ञा से,

विनोद शर्मा,
सचिव।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1

अधिसूचना

27 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 85/XIV–1/2017–11 (30)/2010–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 एवं 19 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य भण्डागारण निगम, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर हेतु निम्न तालिकानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है:–

लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
उत्तराखण्ड राज्य भण्डागारण निगम, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर	उप महाप्रबन्धक (निर्माण), उत्तराखण्ड राज्य भण्डागारण निगम, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर	सचिव, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन

बी0 एम0 मिश्र,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 हिन्दी गजट/116–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 फरवरी, 2017 ई0 (माघ 22, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 11, 2017

No. 06/UHC/Admin.(A)/2017--Sri N. C. Melkani, Private Secretary of the Court is hereby promoted to the post of Deputy Registrar in the pay scale of pay in pay band ₹ 15,600-39,100 with grade pay of ₹ 7,600 in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital *with effect from* the date of his taking over charge.

NOTIFICATION

January 11, 2017

No. 07/UHC/Admin.(A)/2017--Sri Harish Chandra Pandey, Section Officer of the Court is hereby promoted to the post of Assistant Registrar in the pay scale of pay in pay band ₹ 15,600-39,100 with grade pay of ₹ 6,600 in the establishment of the High Court of Uttarakhand at Nainital *with effect from* the date of his taking over charge.

NOTIFICATION

January 12, 2017

No. 10/UHC/Admin.(A)/2017--Sri Deepak Kumar Bhasin, Review Officer is hereby promoted to the post of Section Officer in the pay scale of pay in pay band ₹ 93,00-34,800 with grade pay of ₹ 4,800 (after 04 years of service pay in pay band ₹ 15,600-39,100 with grade pay ₹ 5,400) in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital *with effect from* the date of his taking over charge.

Sri Deepak Kumar Bhasin on being appointed on promotion as Section Officer will be on probation for the period of one year. The work, conduct, skill and overall performance of Sri Deepak Kumar Bhasin promoted as Section Officer will be strictly monitored and observed by Registrar General. At the end of the probation period, Registrar General will submit a report about him. The appointing authority, may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation in his case specifying the date up to which the extension is granted. In case it is found that he has not made sufficient use of the opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, then action will be taken against him as per Rule 32(4) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976 and the official will be reverted back to his substantive post.

NOTIFICATION

January 12, 2017

No. 11/UHC/Admin.(A)/2017--Ms. Rajini Gusain is hereby promoted to the post of Private Secretary in the pay scale of pay in pay band ₹ 15,600-39,100 with grade pay ₹ 6,600 in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital *with effect from* the date of her taking over charge.

Ms. Rajini Gusain on being appointed on promotion as Private Secretary will be on probation for the period of one year. The work, conduct, skill and overall performance of Ms. Rajini Gusain promoted as Private Secretary, will be monitored by Hon'ble Judge, with whom she is attached and in case she is at pool, then by Registrar General. At the end of the probation period, Hon'ble Judge or Registrar General, as the case may be, will submit a report about her. The appointing authority, may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation in her case specifying the date up to which the extension is granted. In case it is found that the official has not made sufficient use of the opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, then action will be taken against her as per Rule 32(4) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976 and the official will be reverted back to her substantive post.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

NARENDRA DUTT,
Registrar General.

NOTIFICATION

January 20, 2017

No. 13/UHC/XIV-72/Admin. A/2003--Sri Brijendra Singh 4th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 07 days *w.e.f.* 03.01.2017 to 09.01.2017.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

January 24, 2017

No. 15/UHC/XIV-a/56/Admin. A/2012--Ms. Seema Dungarakoti, Judicial Magistrate-I, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 02.01.2017 to 13.01.2017 with permission to prefix 25.12.2016 to 01.01.2017 as winter holidays, suffix 14.01.2017 as second Saturday and 15.01.2017 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

January 11, 2017

(Taking over charge)

No. 181/UHC/Admin.A/2017--CERTIFIED that the Office of the Deputy Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, was taken over *vide* Notification No. 06/UHC/Admin.A/2017, dated 11th January, 2017, as herein denoted in the forenoon of 11th January, 2017.

NAVIN CHANDRA MELKANI,
Relieving Officer.

Countersigned,

NARENDRA DUTT,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

January 11, 2017

(Taking over charge)

No. 183/UHC/Admin.A/2017--CERTIFIED that the Office of the Assistant Registrar, High Court of Uttarakhand, Nainital, was taken over *vide* Notification No. 07/UHC/Admin.A/2017, dated 11th January, 2017, as herein denoted in the forenoon of 11th January, 2017.

HARISH CHANDRA PANDEY,
Relieving Officer.

Countersigned,

NARENDRA DUTT,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand,
Nainital.

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

27 जनवरी, 2017 ई0

पत्रांक 5617/आयु0कर, उत्तरा0/फार्म–अनु0/2016–17/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–11/ओ0सी0 टिकट, जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ:–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री इस्थुमस इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, ए–196, सिडकुल, सितारगंज, टिन नं0–05010619585	फार्म–XI	264076	खोने के कारण
2.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/प्र0), वाणिज्य कर, किच्छा	ओ0सी0 टिकट (57)	OCAAUK/-2016 140501 to 140557	मिसिंग होने के कारण

विपिन चन्द्र,
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

(विधि–अनुभाग)

30 जनवरी, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), वाणिज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 5717/आयु0कर, उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0/16–17/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 62/2017/19(120)/XXVII(8)/2012, दिनांक 25 जनवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कर उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III के क्रमांक 4 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "एविएशन टरबाईन फ्यूल" पर "निर्यात या आयात" के बिन्दु पर "1 प्रतिशत" की दर से कर लगाए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

25 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 62/2017/146(120)/XXVII (8)/2008–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

संशोधन

अनुसूची III के क्रमांक 4 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाएगी, अर्थात्:–

क्रम संख्या	माल का वर्णन	कर का बिन्दु	कर की दर प्रतिशत
4.	एविएशन टरबाईन फ्यूल	नि0 या आ0	1 प्रतिशत

आज्ञा से,
बी0 बी0 मठपाल,
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 62/2017/146(120)/XXVII(8)/2008**, dated January 25, 2017 for general information.

NOTIFICATION

January 25, 2017

No. 62/2017/146(120)/XXVII(8)/2008--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to allow, *with effect from* the date of publication of this notification in Gazette, the following amendment in Schedule III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 :--

Amendment

In Schedule III, for the existing entry at serial no. 4, the following entry shall be substituted, namely :--

Sl. No.	Description of goods	Point of Tax	Rate of Tax Percentage
4.	Aviation Turbine Fuel	M or I	1 Percent

By Order,

B. B. MATHPAL,
Additional Secretary.

विपिन चन्द्र,
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

09 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 980/प्रवर्तन/लाइसेन्स/2016–श्री नरेश चन्द्र पुत्र श्री नत्था लाल, ग्राम कुण्डा, पो0 जाखणी, जिला रूद्रप्रयाग का दिनांक 16.05.2016 को पुलिस विभाग, देहरादून द्वारा वाहन संख्या यू0के0 13–4829 (कार) का रेड लाइट जम्प करने के अभियोग में चालान किया गया। जिसके क्रम में लाइसेंसिंग प्राधिकारी मोटर वाहन विभाग, देहरादून द्वारा चालक के चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0के0 1320140005322, जो कि इस कार्यालय द्वारा क्रमशः MCWG(NT), LMV(NT) हेतु जारी किया गया है। जिसकी वैधता 27.02.2034 (अव्यवसायिक) तक है, के विरुद्ध निरस्तीकरण/निलम्बन की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में कार्यालय द्वारा पत्रांक 930/सा0प्रशा0/2016, दिनांक 26.12.2016 के माध्यम से श्री नरेश चन्द्र पुत्र श्री नत्था लाल, ग्राम कुण्डा, पो0 जाखणी, जिला रूद्रप्रयाग, को नोटिस प्रेषित किया गया था। जिसके क्रम में इनके द्वारा दिनांक 09.01.2017 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। जो कि सन्तोषजनक नहीं पाया गया।

अतः दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आपके लाइसेंस संख्या यू0के0 1320140005322 (वैधता उपरोक्त) को दिनांक 09.01.2017 से 08.04.2017 तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

पंकज श्रीवास्तव,
प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, काशीपुर

कार्यालय आदेश

12 जनवरी, 2017 ई0

पत्रांक 62/कर पंजीयन–निरस्त/UK06P 0027/2017–वाहन संख्या UK06P 0027 (कार), मॉडल 2010, चेसिस नं0 MBJ11JV4007218050, इस कार्यालय में श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, निवासी म0 नं0 129, गुमसानी बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। वाहन स्वामी ने दिनांक 28.12.2016 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर चलते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे वह संचालन योग्य न होने के कारण वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, अनिता चन्द, कर पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06P 0027 (कार) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MBJ11JV4007218050 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

अनिता चन्द,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), काशीपुर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 हिन्दी गजट/116–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 फरवरी, 2017 ई0 (माघ 22, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे सैन्य अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम Shanti Kara जन्मतिथि 05.06.1975 भूलवश अंकित हो गयी है जबकि सही नाम Shanti Adhikari जन्मतिथि 03.04.1975 है।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

भूपेन्दर सिंह अधिकारी पुत्र स्व0 श्री गुमान सिंह अधिकारी निवासी 170, गोविन्दपुर, गरवाल कमालुवा गंजा गौर नैनीताल, हल्द्वानी उत्तराखण्ड–263139

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 हिन्दी गजट/116–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।